

राज्य मंत्रपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रपरिषद की बैठक में अन्य पछिड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये गए।

प्रमुख बदि

- बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अन्य पछिड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षणित किये जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राज्य में धान उपारजन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत 'जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट' हेतु विशेष नविश प्रोत्साहन पैकेज देने का नरिणय लिया गया।
- राज्य में वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत 'इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र' हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का नरिणय लिया गया।
- 'कोशलया मातृत्व योजना' के तहत सामाजिक-आर्थिक जनगणना में पात्र हतिग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हतिग्राहियों का नरिधारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।
- राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के नरिणय का अनुमोदन किया गया।
- बैठक में नरिणय लिया गया कि पाँचवी अनुसूची के तहत बसतर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भरती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय नवासी ही पात्र होंगे, जो कि 31 दिसंबर, 2023 की कालावधि के लिये नरिंतर प्रवृत्त रहेगा।
- नगर नगिम और उनके नविश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किये जाने का नरिणय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किये जाने का नरिणय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तथि से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिये 'राजीव युवा मलिन क्लब योजना' को प्रारंभ करने का नरिणय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ अभविहन (वनोपज) नयिम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में नजी क्षेत्र में स्थिति वृक्षों की कटाई एवं परविहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परविहन अनुज्ञा पत्र की अनविर्यता से मुक्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यत्ता के स्वयं के स्वामित्व के बाँस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परविहन की अनुज्ञा पत्र की अनविर्यता से मुक्त किया गया।
- 'छत्तीसगढ़ रोजगार मलिन' तथा 'राजीव युवा मलिन क्लब योजना' के वत्तीय पोषण के लिये उपकर राशि लिये जाने का नरिणय लिया गया। इसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो वक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारति होगी।
- स्मार्ट सटि मलिन के अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी) रायपुर स्मार्ट सटि लमिटिड एवं बलिसपुर स्मार्ट सटि लमिटिड की संरचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परपिरेक्ष्य में नजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व के नयिमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।